कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, नीमच(म0प्र0)
पुरानी पुलिस लाईन के सामने, महू–नसीराबाद रोड़, नीमच
Phone No. (07423) 226605, E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 2180 नीमच, दिनांक– 3.5.21

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग,नीमच

विषयः– कालिया खो जलाशय योजना (लघु योजना) से प्रभावित होने वाली 19.50 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन बाबत्। (प्रकरण क्रमांक / FP/MP/IRRIG/123146/2021)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 913 / कार्य–444 / 2021 दिनांक 31.03.2021.

विषयांकित प्रकरण में लेख हैं, कि कालिया खो जलाशय योजना में प्रभावित होने वाली 19.50 हेक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रकरण (FP/MP/IRRIG/123146/2021) भाग–2 की पूर्ति बाबत् ऑनलाईन वनमण्डल कार्यालय को मुख्यालय से प्राप्त हुआ हैं। प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

(01) म.प्र. शासन वन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ–5–14 / 2005 / 10–3 दिनांक 30 जुलाई 2012 में दिये गये निर्देशानुसार पंजीयन शुल्क रू. 1000 / –एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 5000 / – कुल राशि रू. 6000 / – का चालान ऑनलाईन राज्य के राजस्व मद''0406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी, (800) अन्य प्राप्तियाँ, (0229) विविध प्राप्तियाँ'' में जमा कराकर चालान की मूल प्रति तत्काल इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

(02) कलेक्टर, जिला नीमच के आदेश क्रमांक 16 / अ–20(3) / 2020–2021 दिनांक 05.11.2020 से जलसंसाधन विभाग की प्रस्तावित सिंचाई कालिया खो तालाब योजना हेतु रकबा 19.50 हेक्टेयर वनभूमि के बदले ग्राम हांसपुर तहसील मनासा स्थित 19.50 हेक्टेयर भूमि वन विभाग नीमच को हस्तांतरित की गई हैं। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम से अमल–दरामद कराकर खसरा, नक्शा तरमीम शुदा नकल की सत्यापित प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

(क्षितिज कुमार)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच